न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 20/21 **निर्णय दिनांकः–** 6-5-21
(आरसीएमएस संख्या 2021/00034)

1. तिलोकाराम पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी चक 3 बीवाईएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 20–03–1985
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री हरीश चन्द्र व्यास, अभिभाषक अपीलांट्

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 20–03–1985 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा स्वीकृत भूमिहीन उपनिवेशन तहसील खाजुवाला के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.28 14:25:27 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को चक 3 बीवाईएम के मुरब्बा नम्बर 105/15 के किला नम्बर 1 ता 9, 12 ता 19 व 21 ता 25 तादादी 22 बीघा अनकमाण्ड व किला नम्बर 10, 11 व 12 की 3 बीघा कमाण्ड इस प्रकार कुल 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा अपीलांट् के पक्ष में दिनांक 20—03—1985 को आवंटन पट्टा अपीलांट के पक्ष में जारी कर दिया गया, परन्तु उक्त भूमि का कब्जा अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि उक्त भूमि अपीलांट को आवंटन किये जाने से पूर्व ही अन्य व्यक्ति लालूराम पुत्र हरचन्द को वर्ष 1976 से ही आवंटित भूमि थी। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.28 14:25:27 IST
Reason: SelfAttested

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 20—03—1985 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 08—01—2021 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन—प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 18—03—1985 को दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से अपीलांट को सक्षम मानते हुए दिनांक 20—03—1985 को उपनिवेशन तहसील खाजुवाला के चक 3 बीवाईएम के मुरब्बा नम्बर 105/15 के किला नम्बर 1 ता 9, 12 ता 19 व 21 ता 25 तादादी 22 बीघा अनकमाण्ड व किला नम्बर 10, 11 व 12 की 3 बीघा कमाण्ड इस प्रकार कुल 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। उक्त कार्यवाही के उपरान्त अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों को प्राप्त करने हेतु अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर यह अंकित किया गया कि उक्त भूमि वर्ष 1976 से ही अन्य व्यक्ति लालूराम पुत्र हरचन्द को आवंटित है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का कब्जा अपीलांट् को प्राप्त नहीं हो सका। अदालत मातहत द्वारा इतनी लम्बी अवधि तक न तो अपीलांट को उसकी पात्रता के अनुसार अन्य भूमि का आवंटन किया गया ना ही पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त ही किया गया है। अपीलांट् की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में राजस्व कर्मियों की लापरवाही व उदासीनता का दण्ड अपीलांट् को नहीं मिल सकता। जब अदालत मातहत के समक्ष यह स्थिति पटवारी रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त हो चुकी थी कि वादग्रस्त भूमि पूर्व से ही अन्य को आवंटित है, तो ऐसी स्थिति में तत्काल ही अदालत मातहत को अपीलांट् को पात्रता के अनुसार भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.28 14:25:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इसप्रकार अपीलांट/आवेदक को इतनी लम्बी अवधि तक इंतजार में रखा गया तथा उसके आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की उसे सूचना नहीं दी गई। जिस आवंटन आदेश की आगामी कई वर्षो तक कियान्विती नहीं हुई तथा राजस्व/उपनिवेशन विभाग के अधिकारी अपना रिकार्ड अपडेट नहीं कर पाये। ऐसे आवंटन का अब कोई अस्तित्व नहीं है।

6. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 20—03—1985 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता के अनुसार भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

7. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 6-4-21 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुष्पा सत्यानी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.28 14:25:27 IST
Reason: SelfAttested